(7).

न्यायालय मे श्रीमान् राजस्व कमिश्नर महोदय , ग्वालियर सर्किट कोर्ट कैम्प कोर्ट रीवा (म0प्र0)

श्री महेन्द्र कुमार शुक्ला एड. तह. जयसिंहनगर द्वारा पेश किया गया। 3-11-14

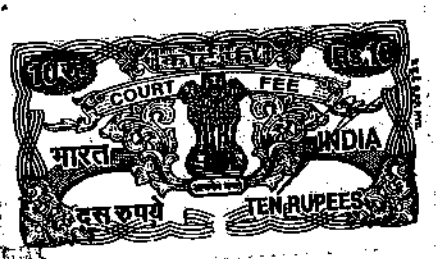

3-11-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

R. 3905 - III/14

741
3-11-14

रमाशंकर पिता गोपिका प्रसाद ब्राहम्ण निवासी ग्राम पोस्ट बांसा थाना तहसील जयसिहनगर जिला शहडोल (म0प्र0) .... आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1– सुकाली पिता ननदनिया चमार उम्र लगभग – 55 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट बांसा थाना तहसील जयसिंहनगर जिला – शहडोल म0प्र0।

2– छोटे पिता ननदनिया चमार उम्र लगभग – 48 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट बांसा थाना तहसील जयसिहनगर जिला – शहडोल म0प्र0।

3– अर्जुन पिता ननदनिया चमार उम्र लगभग – 53 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट बांसा थाना तहसील जयसिहनगर जिला – शहडोल म0प्र0।

4– छलकू पिता अर्जुन चमार उम्र लगभग – 27 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट बांसा थाना तहसील जयसिहनगर जिला – शहडोल म0प्र0।

5– म0प्र0 शासन .... अनावेदकगण/गैर निगरानीकर्तागण

क्रमांक..............
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक..............को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

क्रमांक 3638
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
13/11/14

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

दावा राजस्व निगरानी
आवेदन पत्र वास्ते न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील जयसिंहनगर वृत्त आमडीह जिला – शहडोल म0प्र0 के राजस्व प्रकरण कमांक – 132/अ–3/2013–14 निर्णय दिनांक – 12.08.2014 से परिवेदित होकर निगरानी प्रस्तुत किये जाने बावत्।

रमाशंकर मिश्रा

XXXa BR H-11

राजस्व् मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

------ रमाशंकर/ सुकाली चमार आदि

प्रकरण कमांक निग0 3905–तीन/14 **जिला –शहडोल**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/3/16	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार जयसिंहनगर जिला शहडोल के प्रकरण कमांक 132/अ–3/2013–14 आदेश दिनांक 12–8–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई । आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने एवं प्रकरण का अवलोकन किया । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार जयसिंह नगर न्यायालय में अपने भूमि स्वामी स्वत्व की भूमियों का सीमांकन हेतु चालान सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था । जिस पर तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक जयसिंह नगर को सीमांकन प्रतिवेदन मंगाने का आदेश किया । आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि राजस्व निरीक्षक ने आवेदक को सूचना दिये बगैर आवेदक की भूमि का भी सीमांकन एवं नक्शा तरमीम कर दिया जबकि आवेदक अनावेदक की भूमियों का सरहदी काश्तकार है । निगरानी आवेदन के साथ प्रस्तुत तहसीलदार के आदेश दिनांक 12–8–14 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक के आवेदन पर तहसीलदार द्वारा निर्देश दिया गया तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन किया गया । सीमांकन में आपत्ति अनावेदक सुकाली द्वारा की गई जिस पर राजस्व निरीक्षक द्वारा सामूहिक टीम गठित कर सीमांकन हेतु निर्देशित किया	

R3905-III-14 आदेश

गया । इस पर आवेदक द्वारा आपत्ति की गई । आवेदक की आपत्ति इस आधार पर निरस्त की गई कि आवेदक स्वयं भूमि स्वामी नहीं है अपितु उसका पिता भूमि स्वामी है । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया । प्रकरण में संलग्न सीमांकन प्रतिवेदन एवं पचंनामा के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सीमांकन के समय आवेदक तथा सरहदी कास्तकार को सूचना देकर कार्यवाही की गई है तथा सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक की भूमि के कुछ भाग पर सरहदी छोटेलाल का अतिक्रमण पाया गया । उभयपक्ष की उपस्थिति में संयुक्त सीमांकन किया गया है । अतः आवेदक का यह तर्क उचित नहीं कि उसके आवेदन पर सीमांकन उसकी अनुपस्थिति में किया गया । उक्त आधार पर निगरानी ग्राह्य करने का कोई औचित्य नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है ।

सदस्य